प्रेस विज्ञप्ति
9 फ़रवरी**, 2024**

भारत सरकार के खिलाफ संसदीय लोकतंत्र पर प्रहार करने और कमज़ोर बनाने का आरोपपत्र

‘हम भारत के लोग बनाम भारत सरकार’ नाम का एक आरोपपत्र तैयार किया गया है जिसमे भारत के नागरिक सरकार के खिलाफ सुनियोजित तरीके से संसदीय लोकतंत्र पर प्रहार करने का आरोप लगा रहे हैं |

इस आरोपपत्र का उद्देश्य उन सब असंवैधानिक प्रणालियों को उजागर करना है जिनके द्वारा भारत सरकार ने लगातार संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया है | इस आरोपपत्र में भारत के नागरिकों द्वारा भारत सरकार के खिलाफ कुल आठ आरोपों को विस्तार से ठोस सबूतों के साथ पेश किया गया है |

इस आरोपपत्र को आज एक ऑनलाइन प्रेस सम्मलेन में अनेक चिंतित नागरिकों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक किया गया |

हालाँकि भारतीय संसद को एक नया भवन मिला, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की नींव को पिछले दस सालों से लगातार खोखला करने की कोशिश की जा रही है | संसद हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्व प्रतिनिधित्व स्तम्भ है जिसे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा न सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ बल्कि कई शक्तियां भी दी गयी हैं, और शायद इसीलिए इसको लगातार कमज़ोर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है | यह आरोपपत्र हमारे लोकतंत्र पर छाये घने कोहरे को दर्शाता है और इसका उद्देश्य यह भी है की है हम सब भारत के नागरिक एकजुट होकर अपने सांसदों और भारत सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करें |

संसद में चर्चा के अवसरों का शुन्य हो जाना

लोकसभा के पिछले दो काल - सोलहवीं एवं सत्रवीं लोक सभा - में संसद के सत्र में रहने की अवधि लगातार घटते घटते अबतक की सबसे काम अवधि पर आ कर रुक गयी | सोलहवीं लोक सभा के 5 साल में सिर्फ 331 एवं सत्रवीं लोक सभा में केवल 278 दिन! आज़ादी से लेकर आज तक ऐसा पहली बार हुआ की सत्रवीं लोक सभा का पूरा काल निकलने वाला है, लेकिन आज तक लोक सभा में उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) की नियुक्ति नहीं हो पायी | उपाध्यक्ष अक्सर विपक्ष के द्वारा नाम निर्देशित किये जाते है और इस पद का पूरे पांच साल तक खाली रहना संविधान के अनुच्छेद 93 का उल्लंघन भी है | पिछले दस सालों में न सिर्फ संसद के सत्रों को कम से कम बुलाया गया ताकि जनता के मुद्दों पर सरकार से सवाल न पूछे जा सकें, अहम् मुद्दों पर चर्चा न करि जा सके, बल्कि विधेयकों पर भी कम से कम चर्चा कराने कोशिश करि गयी | 2009 - 2014 के दौरान 71% विधेयकों को संसदीय समितियों में समीक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन 2019 से लेकर अब तक केवल 16% विधेयकों की संसदीय समितियों ने समीक्षा करि | 2014 से 2021 के बीच 301 में से केवल 74 (यानि सिर्फ 24.5%) विधेयकों को संसद में पुरस्थापित करने से पहले सार्वजनिक परामर्श (public consultation) किया गया |

सवालों से बचना, जवाबदेही से भागना

इस आरोपपत्र में यह भी लिखा है की सरकार ने संसदीय जवाबदेही से बचने के लिए कई तरीके अपनाये - संसद में विधेयक लाने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा अध्यादेश (ordinance) लाना, विधेयक को संसद के सामने बिना नोटिस के पेश करना और सांसदों को विधेयक को पढ़ने और समझने का अवसर दिए बिना, विधेयक को संसद से पारित कराने की कोशिश करना | आरोपपत्र में ऐसे कई उदहारण दिए हैं जिनमे ऐसा किया गया है |

आरोपपत्र में यह भी लिखा है की 2016 और 2023 के बीच, औसतन सरकार के 79% बजट को बिना चर्चा के पारित किया गया है | उचित प्रक्रिया के हिसाब से लोक सभा को कुछ मंत्रालयों के बजट को विस्तार से चर्चा करने के बाद ही पारित किया जाता है..... लेकिन संसद के सत्र की अवधि में कमी लाना, बजट सत्र को भी कम दिनों के लिए ही बुलाना, सरकार द्वारा अपने कार्यसूची को सही तरीके से न बनाना, इन सब की वजह से बजट का एक बहुत छोटा भाग ही चर्चा में लिया जाता है |

अब सवालों से बचने के लिए एक और रचनात्मक तरीका निकल लिया गया है - सवालों को डिलीट (delete) कर देना - जिसके लिए संसदीय कानून में कोई प्रावधान नहीं है! 2015, 2020, 2021 और 2023 - इसका प्रयोग बार बार हुआ | अगर किसी विपक्ष के सांसद को सदन से निलंबित कर दिया जाता तो उनके द्वारा उठाये गए सब सवालों को डिलीट कर दिया जाता है - यह एक असंवैधानिक और गैर कानूनी कदम है | संसद के 2023 के शीतकालीन सत्र में 146 विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके, उनके द्वारा पूछे गए 250 से ज़्यादा सवालों को भी डिलीट कर दिया गया |

आरोपपत्र में इसी तरह के और कई आरोपों को विस्तार रूप से सबूत के साथ बताया गया जिनसे यह साफ़ हो जाता है की सरकार ने असंवैधानिक तरीकों से संसदीय लोकतंत्र पर प्रहार करने और उसको कमज़ोर करने की कोशिश करि है जिसकी वजह से लोकतान्त्रिक तरीके से नीतियां बनाने पर, सरकार की जवाबदेही पर, पारदर्शिता पर बुरा असर पढ़ा है एवं भारत के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है |

इस आरोपपत्र का विभिन्न चिंतित नागरिकों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा समर्थन किया गया है:

Organisations

1. All India Lawyers Association for Justice(AILAJ)
2. All India People’s Science Network
3. Association for protection of Civil Rights (APCR)
4. Bahutva Karnataka
5. Bargi Bandh Visthapit Evam Prabhaavit Sangh, Madhya pradesh
6. Delhi Science Forum
7. Dynamic Action
8. Financial Accountability Network
9. Forum Against Oppression of Women- Mumbai
10. Gharelu Kamgaar Union
11. Human Rights Defenders Alert ;
12. Hasrat-e-Zindagi Mamuli; Mumbai
13. Indigenous Perspectives
14. Jan Sarokar
15. Maadhyam
16. Mazdoor Kisan Shakti Sanghatan (MKSS)
17. National Alliance for Justice Accountability and Rights(NAJAR)
18. National Alliance for People’s Movements (NAPM)
19. Naveddu Nilladiddare - Karnataka

20. People’s Union for Civil Liberties
21. Stree Jagruti Samiti - Karnataka
22. VIKASANA VIDHYABHYASA KENDRAM

Individuals

1. Subodh Lal - Constitutional Conduct Group
2. Swati Narayan
3. Uma Shankari, Farmer, Citizen of india
4. Dr. Suhas Kolhekar, Health Rights, Education and Social Justice Activist
5. Sunder Burra, Retd. Civil Servant
6. Ashish Kothari, Pune
7. Dinesh Abrol
8. Nikhil Dey
9. ND Jayaprakash
10. Steve Rocha
11. Olencio, General Secretary, National Fishworkers Forum
12. Ashok Choudhary, All India Union of Forest Working People
13. Nirmal Gorana, Fight Inequality Alliance India
14. Denzil Fernandes, Social Scientist, Delhi
15. Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan, National Alliance for People's Movement
16. Prasad Chacko
17. Ashish Ranjan, NAPM
18. Priya Darshini, Delhi Forum
19. Soumya Dutta, Senior Environmental Activist
20. Koninika Ray, National Federation of Indian Women

और जानकारी के लिए**,** कृपया इन नम्बरों पर कॉल करें **: 9880595032, 9818713833**